राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1540 / 2023

मांगी लाल

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.06.2023
आदेश की दिनांक : 13.06.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में निलम्बन आदेश 24.12.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। उक्त निलम्बन आदेश दिनांक 24.12.2022 में यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी के विरूद्ध जिला चौकी, एसीबी अजमेर थाना–सीपीएस, एसीवी जयपुर को अपराध संख्या 452 / 2021, धारा 7, 7(ए) भ्र.निवारण (संशोधित) अधि.2018 एवं सहपठित धारा 120 बी भादस दिनांक 02.12.2021 को पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधन उक्त श्री मांगीलाल हैड कानि. नं. 1426 के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग चलाने का निर्णय लिया जाकर उप महानिरीक्षक, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर रेंज, उदयपुर ने अपने पंत्राक भ.नि. ब्यूरो / अप / 452 / 2021 / 2200–2203 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा इस कार्यालय से अभियोजनक स्वीकृति चाही जाने पर उक्त श्री मांगीलाल हैड कानि. नं. 1426 के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को केवल इस आधार पर निलम्बित किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी है। उनका कथन है कि अभियोजन स्वीकृति के आधार पर निलम्बन किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि निलम्बन केवल राज. सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के प्रावधानों के आधार पर किया जा सकता है। उक्त नियम 13 में कोई प्रावधान नहीं है कि अभियोजन स्वीकृति जारी करने पर निलम्बन किया जा सकता हो। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4073 / 2001

ओम प्रकाश पण्डिया बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2015 में अभियोजन स्वीकृति जारी होने के आधार पर निलम्बन किया जाना उचित नहीं माना है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि निलम्बन आदेश पारित हुए 5 माह का समय व्यतीत हो चुका है। उनका यह भी तर्क है कि एफ.आई. आर वर्ष 2021 की है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। ऐसे में अपीलार्थी का निलम्बन जारी रखना उचित नहीं है।

3. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22.03.2023 जारी किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक ए–1 एवं ए–2 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

> ''ए–1 किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जायें।
>
> लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।
>
> ए–2 भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण

कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।''

4. उक्त परिपत्र में कार्मिक विभाग ने यह निर्देश दिये हैं कि लोक सेवा के ऐसे प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने की स्थिति में उक्त प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु प्रकरण पुनरावलोकन समिति के समक्ष रखा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी हो चुकी है। उपरोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह आदेश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के परिप्रेक्ष्य में पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलम्बन से बहाली के संबंध में प्रकरण को विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति के नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रोशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।
5. उक्त कार्यवाही के लिए 2 महिने का समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)